

S.N.C.D

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(गुप-5)विभाग

क्रमांक:प.11(4)साप्र/5/92

जयपुर, दिनांक 17.5.12

परिपत्र

विश्राम भवन में ठहरने के पात्र अतिथियों की पात्रता आदिनांक संशोधित कर निम्नानुसार जारी की जाती है। राज्य सरकार द्वारा मैनुअल अध्याय-1 के अनुच्छेद -2 में निर्धारित दरों से प्रदर्शित तालिका के अनुसार पूर्ण भुगतान चैक आउट के समय करना अनिवार्य होगा। पात्रता सम्बन्धी अब तक के जारी विभिन्न आदेशों को एकजाई करते हुए युक्तिसंगत कर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है :-

राजकीय कटेगरी (अ) (i) गुप-ए

सिर्फ राजकीय कार्य से यात्रा पर एक बार में 7 दिन तथा माह विशेष में 10 दिन (राजकीय आवास धारक, मुख्यालय होने एवं स्थानीय निवासी को सुविधा देय नहीं)

- 1 महामहिम राज्यपाल/मा0 अध्यक्ष, विधानसभा/मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान एवं राज्य के समस्त वर्तमान मंत्रीगण (राज्यमंत्री/उपमंत्री/संसदीय सचिव/नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान विधान सभा के उपाध्यक्ष/सरकारी मुख्य/उप सचैतक एवं समकक्ष दर्जा प्राप्त सहित)
- 2 राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवाओं (आई.ए.एस./आई.पी.एस./आई.एफ.एस.) के समस्त अधिकारी।
- 3 राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2008 के अनुसार ग्रेडवेतन रूपये 6600/- या उससे अधिक ग्रेड वेतन पाने वाले राजस्थान राज्य की समस्त सेवाओं के अधिकारी।
- 4 राजस्थान राज्य के समस्त वर्तमान संसद सदस्य।
- 5 राजस्थान राज्य के समस्त वर्तमान विधायकगण एक बार में/माह विशेष में 7 दिन, (लेकिन सर्किट हाउस, जयपुर के लिये अधिकृत नहीं)
- 6 राजस्थान राज्य के समस्त वर्तमान जिला प्रमुख (केवल राजस्थान स्थित विश्राम भवनो में)
- 7 राजस्थान राज्य के समस्त नगर निगमों के वर्तमान महापौर एवं उप-महापौर (केवल राजस्थान स्थित विश्राम भवनो में)।
- 8 राजस्थान प्रशासनिक/पुलिस/न्यायिक/लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी। प्रशिक्षण अवधि में लगातार एक माह तक तत्पश्चात माह विशेष में 7 दिन।
- 9 राजस्थान सरकार की ड्यूटी पर आने वाले सभी पॉयलेट।
- 10 राजस्थान राज्य के राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग एवं समस्त जिला उपभोक्ता मंचों के वर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्य माह में अधिकतम 7 दिवस।
- 11 कार्यालय माननीय मंत्री/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सा.प्र.वि. एवं सा.प्र.वि. के (गुप-4)/(गुप-5) में पदस्थापित वे ही अधिकारी/मंत्रालयिक कर्मचारी जो सीधे विश्राम भवन सेवा से संबंधित कार्यों को निष्पादित करते हैं।
- 12 राजस्थान राज्य के वक्फ बोर्ड, अल्प संख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, हज कमेटी के अध्यक्ष या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य इसी श्रेणी के आयोगों के वर्तमान अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्य।
- 13 राजस्थान राज्य की, साहित्य अकादमी, संस्कृत अकादमी, उर्दू अकादमी, बृज भाषा अकादमी, सिंधी अकादमी, संस्कृत अकादमी, खेल परिषद, राजस्थान गो-सेवा आयोग, या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य समकक्ष संस्थाओं के अध्यक्ष।
- 14 राजस्थान राज्य के लोकायुक्त/सचिव, बोर्ड ऑफ सैकेण्ट्री एजुकेशन, लोक सेवा आयोग, राजस्व मण्डल के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्य।
- 15 राजस्थान राज्य के सर्किट हाउस सेवा के वर्तमान अधिकारी/कर्मचारी।
- 16 राजस्थान राज्य/भारत सरकार/अन्य राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र के निगमों, बोर्डों, मण्डलों, राजकीय उपक्रमों, स्थानीय निकाय आदि में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित बिन्दु संख्या दो व तीन के समस्त अधिकारी।

- 441
- 17 राजस्थान राज्य में केन्द्र/राज्य शासन द्वारा वित्तीय सहयोग से संचालित विश्वविद्यालयों के वर्तमान उप कुलपति । उप कुलपति, राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर ।
 - 18 राजस्थान राज्य के समस्त राजकीय महाविद्यालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों, अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों के ग्रेडवेतन रूपये 6600/- या उससे अधिक ग्रेड वेतन पाने वाले समस्त प्राचार्य, प्राध्यापक एवं अधिकारी ।
 - 19 राजस्थान राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों की विभिन्न परीक्षाएँ करवाने, परीक्षाएँ लेने/परीक्षाओं के दौरान निरीक्षण हेतु आने वाले राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बंधित (सम्बद्ध/मान्यताप्राप्त) विभिन्न महाविद्यालयों के, ग्रेडवेतन रूपये 6600/- या इससे उच्च ग्रेडवेतन प्राप्त करने वाले समस्त प्राचार्य, प्राध्यापक एवं अधिकारी ।
 - 20 राजस्थान राज्य कराधान बोर्ड/बिक्रीकर अधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य ।
 - 21 राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राज्य की न्यायिक सेवा के समस्त न्यायाधीश एवं अधिकारी ।
 - 22 राजस्थान फ्लाइंग स्कूल, जयपुर के ग्रेडवेतन रूपये 6600/- या इससे उच्च ग्रेड वेतन में वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी ।
 - 23 लोकसभा/विधान सभा चुनावों के लिये चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक ।
 - 24 लोक सभा/विधान सभा चुनावों के लिये ड्यूटी पर आने वाले सभी प्रकार के सुरक्षा बलों के ग्रेडवेतन रूपये 6600/- या इससे उच्च ग्रेड वेतन में वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी ।
 - 25 मुख्य महालेखाकार राजस्थान, जयपुर कार्यालय के ग्रेडवेतन रूपये 6600/- या इससे उच्च ग्रेडवेतन में वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी ।
 - 26 राजस्थान राज्य के राज्य सैनिक कल्याण विभाग एवं जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के ग्रेडवेतन रूपये 6600/- या इससे उच्च ग्रेडवेतन में वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी ।
 - 27 राजस्थान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त निगम, बोर्ड, मंडल, राजकीय उपक्रमों एवं जिला परिषद आदि के अध्यक्ष/कार्यकारी अधिकारी ।
 - 28 राजस्थान राज्य के महाधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता ।
 - 29 उपरोक्त बिन्दु संख्या 2, 3 एवं 21 के समस्त निलंबित एवं पदस्थापन प्रतीक्षा के अधिकारी ।
 - 30 जिन अन्य राज्यों के रेसीप्रोकॅल (पारस्परिक) व्यवस्था है, उन राज्यों के सांसद, विधायक किसी समिति के अध्यक्ष, सचिव, या सदस्य के रूप में समिति के साथ राजस्थान की यात्रा पर आने पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उस समय दिये जाने वाले निर्देशों के अनुरूप ।
 - 31 भारत सरकार के सिर्फ नार्थ-ब्लॉक/साउथ-ब्लॉक, नई दिल्ली में स्थित विभिन्न मंत्रालयों से आने वाले अखिल भारतीय सेवाओं (आई.ए.एस./आई.पी.एस./आई.एफ.एस) के एवं ग्रेडवेतन रूपये 6600/- या इससे उच्च ग्रेडवेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी ।
 - 32 राजस्थान लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार लेने हेतु आने वाले समस्त विषय-विशेषज्ञ ।
 - 33 राज. प्रशासनिक/पुलिस/लेखा एवं न्यायिक सेवा के कनिष्ठ वेतन श्रृंखला ग्रेडवेतन रूपये 5400/- के अधिकारी.राजस्थान स्टेट मोटर गैराज सेवा के वरिष्ठ मोटर अभियन्ता ग्रेडवेतन रूपये 6000/-,मोटर अभियन्ता. भण्डार अधिकारी ग्रेडवेतन रूपये 5400/- एवं मण्डलीय अधीक्षक ग्रेडवेतन रूपये 4200/- तथा राजस्थान जेल सेवा के अधीक्षक. केन्द्रीय कारागृह ग्रेडवेतन रूपये 6000/- को माह विशेष में 3 दिन के लिये केवल राजकीय यात्रा हेतु पात्रता ।
 - 34 राजस्थान न्यायिक सेवा के कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त अधिकारियों (मुन्सिफ/न्यायिक मजिस्ट्रेट) को इस पात्रता के साथ इसी दर पर स्थानान्तरण के दौरान भी 3 दिन के लिये यह सुविधा प्राप्त होगी ।
 - 35 राज्य न्यायिक सेवा (कनिष्ठ खण्ड) के संशोधित वेतनमान, 2008 में ग्रेड-पे का प्रावधान नहीं होने से इनके लिये ग्रेड-पे की बाध्यता नहीं रहेगी। इन्हें पूर्ववत प्रवास भोजनादि की सुविधा निर्धारित दर एवं अवधि के अनुसार उपलब्ध रहेगी ।
 - 36 निदेशक,पेट्रोलियम (राज)/राजस्थान इलेक्ट्रीसिटी रेग्युलेट्री कमीशन के अध्यक्ष एवं सदस्य ।
 - 37 राजस्थान सूचना आयोग के अधिकारी ग्रेडवेतन रूपये 6600/-या इससे उच्च ग्रेडवेतन में वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी ।
 - 38 राज्य के निवासी जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया है ।
 - 39 भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (एनआईसी) राज्य में पदस्थापित ग्रेड-पे 6600/- या इससे उच्च ग्रेड वेतन प्राप्त अधिकारी (केवल राजकीय यात्रा हेतु) ।

राजकीय कटेगरी (अ) (ii) 'गुप-बी'

यात्रा पर एक बार में 7 दिन तथा माह विशेष में 10 दिन (राजकीय आवास धारक, मुख्यालय होने एवं स्थानीय निवासी को सुविधा देय नहीं)

- 1 राजस्थान, कैंडर के अखिल भारतीय सेवाओं (आई.ए.एस./आई.पी.एस./आई.एफ.एस) के समस्त प्रशिक्षु अधिकारी (प्रशिक्षण पर पूर्ण अवधि तक)
- 2 राजस्थान में प्रशिक्षण प्राप्ति हेतु निर्देशित केन्द्र शासित क्षेत्रों एवं अन्य राज्यों के भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी प्रशिक्षण की अवधि तक ।
- 3 निजी कार्य या अवकाश यात्रा पर आने वाले गुप-ए के बिन्दु संख्या 2,3,11,15,16,17,18, एवं 21 पर वर्णित समस्त अधिकारी/कर्मचारी ।
- 4 निजी कार्य या अवकाश यात्रा पर आने वाले उच्चतम न्यायालय एवं अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीपतिगण ।

राजकीय कटेगरी (अ) (iii) 'गुप-सी'

सिर्फ राजकीय कार्य से यात्रा पर एक बार में 7 दिन तथा माह विशेष में 10 दिन (राजकीय आवास धारक, मुख्यालय होने एवं स्थानीय निवासी को सुविधा देय नहीं)

- 1 गुप-ए में बिन्दु संख्या 31 पर वर्णित को छोड़कर, भारत सरकार के, अन्य राज्य सरकारों के, केन्द्र शासित क्षेत्रों के अखिल भारतीय सेवाओं (आई.ए.एस./आई.पी.एस/आई.एफ.एस) के समस्त अधिकारी ।
- 2 गुप-ए में बिन्दु संख्या-31 पर वर्णित को छोड़कर, भारत सरकार के, अन्य राज्य सरकारों के, केन्द्र शासित क्षेत्रों के ग्रेडवेतन रुपये 6600/- या इससे उच्च ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी ।
- 3 भारत दर्शन हेतु आने वाले अखिल भारतीय सेवाओं (आई.ए.एस./आई.पी.एस/आई.एफ.एस) के प्रशिक्षु अधिकारी ।
- 4 भारतीय सशस्त्र सेना (आर्मी), वायु सेना (एयरफोर्स), नौ सेना (नेवी) सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ), केन्द्रीय सुरक्षा बल (सी.आर.पी.एफ), नेशनल क्रेडिट कोर (एन.सी.सी), सबसिडरी स्पेशल ब्रांच (एस.एस.बी), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ) एवं भारत सरकार द्वारा स्थापित अन्य पैरा मिलिटरी सुरक्षा बलों के ग्रेडवेतन रुपये 6600/- या इससे उच्च ग्रेडवेतन में वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी ।
- 5 केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के ग्रेड वेतन रुपये 6600/-या इससे उच्च ग्रेडवेतन में वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी ।
- 6 अन्य राज्यों, केन्द्र शासित क्षेत्रों के समस्त वर्तमान संसद सदस्य (राजस्थान हाउस, नई दिल्ली एवं माउण्ट आबू में अनुज्ञेय नहीं) केवल आवास हेतु तथा कटेरिंग सुविधा गुप-डी में देय दरों से ।
- 7 जनगणना निदेशालय (गुप-ए के बिन्दु संख्या-16 पर वर्णित को छोड़कर) के ग्रेडवेतन रुपये 6600/- या इससे उच्च ग्रेडवेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी ।
- 8 केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य (आवेदन पर अधिकतम 15 दिन) ।
- 9 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी) के ग्रेडवेतन रुपये 6600/-या इससे उच्च ग्रेडवेतन प्राप्त समस्त अधिकारी ।
- 10 सेन्ट्रल ऐरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट (काजरी) जोधपुर के ग्रेडवेतन रुपये 6600/- या इससे उच्च ग्रेडवेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी एवं मनोनित सदस्य ।
- 11 गुप-ए के बिन्दु संख्या 2,3,15,16,17,18 एवं 21 पर वर्णित सेवा निवृत्त अधिकारी ।
- 12 पूर्व राज्यपाल/पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान ।
- 13 राजस्थान राज्य के समस्त पूर्व-सांसद सदस्य (माह विशेष में केवल पाँच दिवस के लिये)
- 14 राजस्थान राज्य के समस्त पूर्व-मंत्रीगण (माह विशेष में केवल सात दिवस के लिये)
- 15 मंत्री/राज्यमंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त वे पदाधिकारी जो जयपुर के निवासी नहीं हैं, उन्हें रू0 10000/ प्रतिमाह एवं इसी तरह के पदाधिकारी जो जयपुर के निवासी हैं उन्हें रू0 3000/ आवास भत्ता देय होगा । इन्हें विश्राम भवन, जयपुर में आवास की सुविधा देय नहीं होगी ।
- 16 राजस्थान राज्य के पूर्व-विधायकगण राजस्थान स्थित समस्त विश्राम भवनों में माह विशेष में केवल पांच दिवस के लिये/राजस्थान हाउस नई दिल्ली में माह विशेष में केवल 3 दिवस के लिए आवास एवं भोजनादि की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे ।

५५३

- 17 राष्ट्रपति पदक यथा भारत-रत्न, परमवीर-चक्र, अशोक-चक्र, सर्वोत्तम-युद्ध सेवामेडल, परम-विशिष्ट सेवामेडल, महावीर-चक्र, क्रान्ति-चक्र, सर्वोत्तम-जीवन रक्षापदक, उत्तम-युद्ध सेवामेडल, अति-विशिष्ट सेवामेडल से अलंकृत राजस्थान राज्य के निवासी पूर्व सैन्य अधिकारी।
- 18 दूरदर्शन/आकाशवाणी (प्रसार भारती) के वेतनमान के अनुसार पात्र अधिकारी।
- 19 आयुक्त, नारकोटिक्स, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।

गैर-राजकीय कटेगरी (ब) ग्रुप-'डी'

- 1 सभी राजकीय अतिथि।
- 2 सभी विभागीय अतिथि।
- 3 राजस्थान राज्य के समस्त मण्डलों, निगमों उपक्रमों के वे समस्त अधिकारी, पदाधिकारी (ग्रुप-ए) में (बिन्दु संख्या-16 व 27 छोड़कर) अपनी निजी/ऑफिशियल यात्रा पर आने पर।
- 4 ग्रुप-सी में (बिन्दु संख्या-11 छोड़कर) वर्णित सभी पदाधिकारी अपनी निजी या स्थानान्तरण की यात्रा से आने पर।
- 5 भारत सरकार, केन्द्र शासित क्षेत्रों एवं अन्य राज्य सरकारों के समस्त मण्डलों, निगमों, उपक्रमों आदि के समस्त प्रकार के पदाधिकारी अपनी निजी, ऑफिशियल/स्थानान्तरण की यात्रा पर।
- 6 ग्रुप-ए, बी एवं सी में वर्णित सभी पदाधिकारी अपनी निर्धारित अवधि के पश्चात्।
- 7 ग्रुप ए, बी एवं सी में वर्णित अतिथियों के अलावा शेष रहे समस्त अतिथि।
- 8 जिन राज्यों से रेसीप्रोकल व्यवस्था नहीं है उन सभी राज्यों की समस्त विधानसभा/विधानमण्डल की विभिन्न समितियों राजस्थान यात्रा के समय सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप।
- 9 केन्द्र शासित प्रदेशों एवं अन्य राज्यों के विधायक निजी यात्रा पर।
- 10 अध्यक्ष/सभापति, नगर विकास न्यास एवं नगर परिषद।
- 11 प्राईवेट अतिथि।

उक्त पात्रता मुख्यमंत्री कार्यालय के आई डी क्रमांक एफ.12001739 दिनांक 19.4.12 द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी की जाती है।

(राजीव जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप सचिव(वीपी) मुख्यमंत्री जी को उनके उपरोक्त संदर्भ में।
2. प्रबन्धक, राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस/राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
3. प्रबन्धक, समस्त विश्राम भवन, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
5. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

५/५
५/५